-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने, शहर में ई-रिक्शा सेवाओं को और अधिक सुरक्षित एवं संगठित बनाने के दृष्टिगत ई-रिक्शा मालिकों/चालकों का किया जा रहा सत्यापन। सत्यापन के लिए यातायात पुलिस बूथ बाबूलाल चौराहे पर लगाया गया है 10 दिवसीय निःशुल्क कैम्प।**

विवरण- जनपद में यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने, शहर में ई-रिक्शा सेवाओं को और अधिक सुरक्षित एवं संगठित बनाने के दृष्टिगत ई-रिक्शा मालिकों/चालकों के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलास बंसल के निर्देशन मे यातायात पुलिस बूथ बाबूलाल चौराहे पर ई-रिक्शा मालिकों/चालकों का सत्यापन कर एक नम्बर/कोड प्रदान किया जा रहा है। यातायात पुलिस बूथ बाबूलाल चौराहे पर लगाये गए निःशुल्क कैम्प में आज कुल 105 ई-रिक्शा का सत्यापन कर उनको नम्बर/कोड प्रदान कर चस्पा किए गये। सभी यात्रियों खासकर महिला यात्रियों से अपील है कि वे सत्यापित ई-रिक्शा जिसमें नम्बर/कोड चस्पा हों उन्ही पर यात्रा करें, ऐसे ई-रिक्शों का पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किया जा चुका है। सभी ई-रिक्शा चालकों/मालिकों से अपील है कि वे निःशुल्क कैम्प पहुंचकर सत्यापन कराएं इससे वे कई प्रकियागत समस्याओं से बच सकते हैं। ई-रिक्शा सत्यापन हेतु अपने साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन पेपर साथ लाए, इस संबंध में यदि कोई समस्या होती है तो मो0न0-8707735158 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सत्यापन की प्रकिया आज दिनांक 26.05.2025 से 04.06.2025 तक किया जाएगा जो पूरी तरह से निःशुल्क है।